मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

भोपाल– 462023 (म.प्र.) वेबसाईट – www.madhyavitaran.nic.in

क्रमांक अ.प्र.स./मध्य क्षेत्र/एच.आर./ला.परि./8170 **दिनांक 12/12/2011**

परीक्षण सहायक (तृतीय श्रेणी) की नियमित नियुक्ति

1. मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जो कि मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कंपनी हैं, मध्यप्रदेश राज्य के मूलनिवासी योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों से परीक्षण सहायक (तृतीय श्रेणी) के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति के लिये एम.पी ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2. परीक्षण सहायक (तृतीय श्रेणी) के 240 (नियमित) पदों हेतु मध्य क्षेत्र कंपनी में वर्गवार/श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार हैं।

क्र.	विवरण	रिक्त पदों की संख्या				कुल पद
		अनारक्षित	अ.जा.	अ.जजा.	पिछड़ा वर्ग	
1.	श्रेणीवार रिक्तियां	113	35	46	32	226
2.	निःशक्तजन के लिए आरक्षित (श्रवण एवं अस्थिबाधित)	07	03	02	02	14
	कुल योग	**120**	**38**	**48**	**34**	**240**

नोटः– निःशक्तजन के लिये श्रवण एवं अस्थिबाधित उम्मीदवार ही आवेदन के लिये पात्र होंगे।

उक्त चयन प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से की जायेगी। पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त न होने की दशा में कुल पदों को कम/ज्यादा करने, सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया को संशोधित करने, लंबित रखने तथा निरस्त करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित रहेगा।

3. आरक्षणः

3.1 मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तजन के अभ्यर्थियों को म.प्र. राज्य शासन के समतुल्य रोस्टर प्रणाली के अनुसार आरक्षण की पात्रता होगी।

3.2 आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/सक्षम चिकित्सक अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (कृपया निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़े):

आवेदन पत्र केवल एम.पी.ऑनलाइन की वेबसाइट https://www.mponline.gov.in पर दि. **15.12.2011** से उपलब्ध हैं।

आवेदन एम.पी.ऑनलाइन के अधिकृत Kiosk के माध्यम से भी किये जा सकते हैं। एम.पी.ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिये https://www.mponline.gov.in पर Authorized Kiosk list link देखें।

आवेदन हेतु एम.पी.ऑनलाइन की वेबसाइट https://www.mponline.gov.in लिंक हेतु मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी की वेबसाईटस् **www.madhyavitaran.nic.in** पर उपलब्ध हैं।

5. आवेदन शुल्क एवं पोर्टल प्रभार :

मध्यप्रदेश के मूलनिवासी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तजन) उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट प्राप्त होगी। उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली राशि का विवरण निम्नानुसार है।

क.	श्रेणी	आवेदन शुल्क	पोर्टल चार्जेस	कुल राशि
1.	अनारक्षित	500/—	60/—	560/—
2.	अनुसूचित जाति	—	60/—	60/—
3.	अनुसूचित जनजाति	—	60/—	60/—
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	500/—	60/—	560/—
5.	निःशक्तजन	—	60/—	60/—
6.	विधवा, तलाकशुदा महिला एवं भूतपूर्व सैनिक	500/—	60/—	560/—

आवेदन पत्र एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क पर नगद भुगतान कर प्रेषित किये जा सकते हैं। https://www.mponline.gov.in पर Authorized Kiosk list link पर एम.पी.ऑनलाइन के अधिकृत Kiosk की सूची है जिसके माध्यम से आवेदन शुल्क एवं पोर्टल प्रभार जमा किया जाना है।

आवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों को पोर्टल प्रभार रू.60/— का भुगतान पृथक से किया जाना आवश्यक है।

6. शैक्षणिक योग्यताः—

6.1 उम्मीदवार दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं भारत के किसी राज्य शासन या केन्द्र शासन से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (एस.सी.व्ही.टी./एन.सी.व्ही.टी.) से विद्युतकार / लाईनमेन या वायरमेन में आई.टी.आई. प्रमाण—पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। केवल आई.टी.आई. (2 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम आवश्यक) परीक्षा उतीर्ण उम्मीदवार ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। (2 वर्ष से कम अवधि वाले पाठ्यक्रम मान्य नहीं होगें)।

क.	श्रेणी	हाई स्कूल	आई. टी. आई. विद्युतकार/लाईनमेन/वायरमेन ट्रेड में अंतिम वर्ष के प्राप्तांकों का प्रतिशत
1	अनारक्षित	उत्तीर्ण	60%
2.	अनुसूचित जाति	उत्तीर्ण	50%
3.	अनुसूचित जनजाति	उत्तीर्ण	50%
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	उत्तीर्ण	60%
5.	निःशक्तजन	उत्तीर्ण	60%

महिला उम्मीदवार जो उपर्युक्त निर्धारित योग्यता धारित करती हैं, वे भी आवेदन कर सकती हैं, तथापि कार्य में जोखिम होने के कारण आवेदन के पूर्व महिला उम्मीदवार इस पहलू पर पूर्ण विचार करें।

उम्मीदवार को मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक हैं।

6.2 ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने आईटीआई परीक्षा विद्युतकार/लाईनमेन या वायरमेन ट्रेड से उत्तीर्ण नहीं की है, लेकिन उच्च शिक्षा जैसे कि डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त की है, उन्हें आवेदन की पात्रता नहीं होगी।

6.3 केवल वे आवेदक ही आवेदन कर सकते है जिनको कम से कम 1 वर्ष का अनुभव संबंधित ट्रेड (ITI विद्युतकार/लाईनमेन/वायरमेन) में हो।

7. आयु सीमाः

7.1 आवेदक की आयु दिनांक 01–11–2011 को 18 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ावर्ग, निःशक्तजन, विधवा, तलाकशुदा महिला एवं भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

8. साक्षात्कार उपस्थिति के समय उम्मीदवार को निम्नलिखित प्रमाणपत्र एवं अंकसूची की मूल प्रतियॉ एक सत्यापित प्रति सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य हैः

- **I.** शैक्षणिक योग्यता (10 वीं की अंक सूची)
- **II.** व्यवसायिक योग्यता (आई.टी.आई विद्युतकार/लाईनमेन/वायरमेन ट्रेड) की अंक सूची एवं प्रमाणपत्र
- **III.** मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाणपत्र
- **IV.** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग तथा निःशक्तजन के उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) /सक्षम चिकित्सक अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- **V.** एम.पी.आनलाईन के कियोस्क के माध्यम से भरे गए आवेदन पत्र का कम्प्यूटराईज़्ड प्रिंट की मूलप्रति।
- **VI.** एम.पी.आनलाईन के कियोस्क संचालक द्वारा प्रदत्त भुगतान की कम्प्यूटराईज़्ड रसीद की मूल प्रति
- **VII.** पहचान परिचय पत्र (ड्रायविंग लायसेंस/मतदाता पहचान पत्र/बैंक पासबुक/पासपोर्ट) यदि लागू हो तो आवेदक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंः
- **VIII.** शासकीय/अर्द्ध शासकीय एवं निजी (प्रायवेट लिमिटेड) उपक्रम में कार्यरत उम्मीदवार का नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र
- **IX.** भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रमाणपत्र

8.1 उपर्युक्त प्रमाणपत्रों के सत्यापन पर यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार निर्धारित मापदंड पूर्ण नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जावेगी।

9. चयन प्रकियाः

9.1 आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जावेगा।

9.2 साक्षात्कार के समय वांछित आवेदन पत्र एवं भुगतान की रसीद का कम्प्यूटराईज़्ड प्रिंट, प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियां एवं अभिप्रमाणित छाया प्रतियां प्रस्तुत करना होंगी, अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

10. चयन एवं नियुक्तिः

अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को उपस्थिति के समय रू.250/– के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में कंपनी के साथ तीन वर्ष हेतु अनुबंध करना होगा।

चयनित उम्मीदवारों को कंपनी की आवश्यकतानुसार शिफ्ट ड्यूटी में कार्य करने हेतु कंपनी के कार्यक्षेत्रांतर्गत किसी भी स्थान पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी।

11. प्रशिक्षणः

चयनित उम्मीदवारों को 6 माह का प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) दिया जायेगा। सफलता पूर्वक प्राशिक्षण प्राप्त न करने वाले उम्मीदवारों का प्रशिक्षण कार्यकाल 3 माह बढ़ाया जा सकता है।

12. वेतन एवं भत्तेः–

12.1 चयन के उपरांत प्रशिक्षण अवधि 6 माह रहेगी जिसमें 1 माह का क्लासरूम एवं शेष मैदानी प्रशिक्षण दिया जावेगा।

12.2 प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षु वृत्ति (Stipend) 6,500/–रू. प्रतिमाह देय होगा।

12.3 On regular appointment as Testing Assistance he/she shall be absorbed at an intial basic pay Rs. 6500/- in S-3 cadre and other allowances as adopted/amended /modified by the company from time to time. The appointed Testing Assistance (Regular) shall be eligible for the Defined New Pension Scheme as adopted by GoMP and its implemented by the Company.

13. महत्वपूर्ण तिथियॉ

समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किये जाने की दिनांक – 14/12/2011

ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि – 31/12/2011

लिखित परीक्षा की संभावित तिथि – 29/01/2012

साक्षात्कार हेतु संभावित तिथि – 11/02/2012

उल्लेखित तिथियों में बिना कारण बताये परिवर्तन किया जा सकेगा।

14. अन्य शर्तेः–

I. ऐसे अभ्यर्थी जो किसी शासकीय/अर्धशासकीय या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं, सुनिश्चित करें कि वे निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु संबंधी मापदण्ड पूर्ण करते हैं। साक्षात्कार के समय ऐसे अभ्यर्थी द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

II. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तजन के उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा हेतु बुलाये जाने पर नियमानुसार न्यूनतम दूरी का द्वितीय (साधारण) श्रेणी का रेल अथवा वास्तविक बस किराया, आवेदन पत्र में अंकित स्थायी पता के आधार पर, मूल टिकिट प्रस्तुत करने पर दिया जावेगा। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

III. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद भोपाल स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में ही मान्य होंगे।

IV. मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकती हैं। कंपनी को बिना कारण बताये विज्ञापन निरस्त करने का अधिकार होगा।

V. ऐसे उम्मीदवार जिन्हें दिनांक 26.1.2001 अथवा उसके बाद तृतीय संतान की प्राप्ति हुई हो, को आवेदन की पात्रता नहीं है।

VI. यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर हुआ है तो ऐसे उम्मीदवार का चयन/नियुक्ति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी।

संयुक्त सचिव/महाप्रबंधक (सचिवालय)
म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि.
भोपाल